मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक-सी/3/ 11 /87 /3/1 भोपाल, दिनांक 23 जुलाई, 1987

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर।
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय सेवा के किसी पद पर नियुक्ति हेतु जारी किये जाने वाले आदेश में आवश्यक शर्तों का उल्लेख।

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि शासकीय सेवाओं के विभिन्न पदों के लिये विहित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस पद के लिए सेवा भरती नियमों एवं शासन के अन्य नियम/निर्देशों के अनुसार नियुक्ति आदेशों में आवश्यक शर्तों का उल्लेख नहीं किया जाता है। इस के परिणामस्वरूप सम्बंधित व्यक्ति के शासकीय सेवा में आने के बाद कई वैधानिक एवं प्रशासनिक कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है।

उक्त प्रश्न पर राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि किसी पद पर नियुक्ति के लिये जारी किये जाने वाले आदेशों में, संबंधित पद के लिए विहित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उन सभी शर्तों का अनिवार्य रूप से समावेश किया जाना चाहिए, जो कि संबंधित पद के लिये सेवा भरती नियमों एवं शासन के अन्य नियमों/निर्देशों के अनुसार आवश्यक है।

शासन चाहता है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
के. एन. श्रीवास्तव
(के0एन0 श्रीवास्तव)
उपसचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

--2--